

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इन्दौर जोन इन्दौर,
६, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर ४९२००१

- : : आ दे श : : -

पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र/पुमु/लेखा/पेंशन/1287/08 दिनांक 05.12.08 के पालन में आवास आवंटन नीति के अंतर्गत गठित समिति द्वारा समग्र विचार उपरांत इन्दौर जिले में पदस्थ निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियों को नाम के सम्मुख दर्शाए अनुसार रिक्त शासकीय आवास निम्न शर्तों के अधीन आवंटित किया जाता है-

क्र.	पद व नाम	वर्तमान पदस्थापना	आवंटित शासकीय आवास क्रमांक	रिमार्क
1	श्री प्रशान्त चौबे, अति.पुलिस अधीक्षक	अपुअ प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा	आ.क्र.एनजीओ-1 एमटीएच कंपाउण्ड	पूर्व निवासरत श्री प्रदीप सिंह चौहान उपुअ यातायात
2	सउनि त्रिलोक सिंह बैस	थाना देपालपुर	आ.क्र. एन-5/5 पिगडम्बर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत उनि गुलाब सिंह रावत।
3	उनि सलमा राणा	विशेष शाखा	आ.क्र. बी-09 जावरा कंपाउण्ड पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत उनि दर्शना मुजाल्दा।
4	सूबे(एम) रानी बार्गल	कार्यालय पुअ अजाक रेंज	आ.क्र.सी-07 जावरा कंपाउण्ड पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत उनि श्रद्धा यादव।
5	सउनि(अ) पंकज तिवारी	कार्यालय उपुअ महिला प्रकोष्ठ	आ.क्र.एनजीओ-02 मल्हारगंज पुलिस लाईन	--
6	म.आर. 3440 ललिता सोलंकी	थाना बेटमा	आ.क्र.सी-1/7 पिगडम्बर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत आर. 1192 रविन्द्र
7	म.आर. 1699 ललिता	थाना रावजी बाजार	आ.क्र.डी-2 सीआरपी लाईन	पूर्व निवासरत आर. 2530 अखिलेश सिंह
8	म.आर. 3477 आशा अलेरिया	थाना हीरानगर	आ.क्र.एम-2/60 अयोध्या नगरी लाईन	पूर्व निवासरत प्रआर.194 मुनेश्वर सिंह
9	आर. 3402 उमेश परमार	थाना बेटमा	आ.क्र.सी-3/7 पिगडम्बर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत आर. 2991 शशांक
10	आर. 2850 किशोर सिंह	थाना हीरानगर	आ.क्र.एम-2/29 अयोध्या नगरी लाईन	पूर्व निवासरत प्रआर. 697 देवेन्द्र सिंह
11	आर. 1576 अरूण यादव	थाना गौतमपुरा	आ.क्र.एस-373 डीआरपी लाईन	पूर्व निवासरत आर. 905 कुलदीप
12	आर. 2479 हरीश सोनी	थाना खजराना	आ.क्र.एस-384 डीआरपी लाईन	पूर्व निवासरत नव आर.2835 नागेन्द्र
13	आर. 1337 राजेन्द्र	थाना लसूडिया	आ.क्र.6/6 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
14	आर. 533 बलवन्त सिंह	थाना सांवेर	आ.क्र.2/6 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
15	आर. 113 मुकेश	थाना जूनी इंदौर	आ.क्र.4/9 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
16	आर. 2959 भागचन्द्र	थाना खजराना	आ.क्र.5/5 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
17	प्रआर. 2553 रूप सिंह	थाना बड़गोंदा	आ.क्र.सी-9/5 पिगडम्बर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत आर. 1758 प्रेमसिंह
18	आर. 2032 भास्कर जगताप	थाना भंवरकुआ	आ.क्र.7/3 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
19	आर. 3197 अशोक	थाना पंढरीनाथ	आ.क्र.7/9 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
20	आर. 2033 सुभाष	थाना खुडैल	आ.क्र.15/10 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--

क्र.	पद व नाम	वर्तमान पदस्थापना	आवंटित शासकीय आवास क्रमांक	रिमार्क
21	आर. 3215 प्रतिपाल	थाना रावजीबाजार	आ.क्र.18/3 चौथी पल्टन पुलिस लाईन	--
22	प्रआर. 1442 विरेन्द्र सिंह	थाना सदरबाजार	आ.क्र.ई-1 थाना सदरबाजार परिसर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत आर.2534 अजय त्रिपाठी
23	आर. 2810 राजेन्द्र सिंह	थाना महू	आ.क्र. बी-10 थाना महू परिसर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत प्रआर.2064 रामकुष्ण
24	उनि शैलेन्द्र कुमार पटैया	थाना बाणगंगा	आ.क्र.एनजीओ-02 थाना बाणगंगा परिसर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत उनि खमसिंह सोलंकी
25	आर. 3528 भूपेन्द्र सिंह	थाना कनाडिया	आ.क्र. 2/14 थाना कनाडिया परिसर पुलिस लाईन	पूर्व निवासरत आर. 108 नागेश

शर्त :-

1. शासकीय आवासगृह आवंटन इस आधार पर किया जा रहा है कि आवंटिती का स्वयं के अथवा परिवार में आश्रित सदस्य के नाम से इन्दौर नगर में कोई आवासगृह नहीं है । गलत जानकारी प्रस्तुत कर आवासगृह आवंटित कराने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दोषी माना जावेगा एवं संबंधित के विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । आश्रित सदस्य से आशय पति, पत्नी, बच्चे, माता-पिता हैं ।
2. निजी भवन इन्दौर शहर में होने की स्थिति में आवंटित आवास का किराया नियम 45-बी के अनुसार जमा कराना होगा ।
3. आवासगृह का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जावे ।
4. आवासगृह को रिक्त रखना व ताला लगाकर रखना, स्वयं आवासीय उपयोग न करते हुए किसी परिचित या रिश्तेदार को निवास हेतु दिया जाना प्रतिबंधित है ।
5. थाना परिसर में जिन पुलिस कर्मियों को आवा आवंटित किए गए हैं, उनका वर्तमान पदस्थापना थाने से अन्यत्र स्थानांतरण होने की स्थिति में थाना परिसर का आवंटित शासकीय आवासगृह आवश्यक रूप से रिक्त करना अनिवार्य होगा ।
6. स्थानान्तर/सेवामुक्त/पदच्युत होने अथवा प्रतिनियुक्ति पर जाने की सूचना संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक एवं आवास लिपिक डीपीओ इन्दौर को दी जावे तथा नियमानुसार आवास धारण की अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा ।
7. आवासगृह से लगी भूमि का उपयोग जानवर पालने हेतु नहीं किया जावे, पड़ोसियों की सुख-सुविधा में व्यवधान पैदा हो ऐसा कोई कार्य न किया जावे ।
9. आवासगृह का आधिपत्य लेने के पश्चात यदि अन्य कोई आवासगृह आधिपत्य में हो तो उसे तीन दिवस में अनिवार्य रूप से रिक्त कर दिया जावे ।
10. आवासगृह का आधिपत्य प्राप्त करते एवं रिक्त करते समय संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक, इन्दौर को सूचित करें, ताकि पूर्व आवंटिती द्वारा शासकीय संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति का मूल्यांकन कर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके । रक्षित निरीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज कर प्रमाणित प्रति संपदा अधिकारी रक्षित निरीक्षक/आवास लिपिक एसी. प्रथम डीपीओ. इन्दौर की ओर तत्काल प्रेषित करें ।
11. आवंटित शासकीय आवासगृह में विद्युत कनेक्शन आवंटिती को स्वयं म.प्र. विद्युत मण्डल से लेना होगा एवं जल तथा विद्युत व्यय नियमित भुगतान करना होगा ।
12. शासकीय आवासगृह में किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़, नवनिर्माण आदि प्रतिबंधित हैं, यदि ऐसा पाया गया तो आवंटिती क्षतिपूर्ति हेतु स्वयं जवाबदार होगा ।
13. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाने पर यह आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा ।
14. इसी प्रकार प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से किसी भी समय यह आवास आवंटन आदेश निरस्त/संशोधन किया जा सकेगा । ऐसी अवस्था में आवंटिती को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से आवासगृह रिक्त करना होगा ।
15. परिवर्तन के संबंध में 06 माह तक कोई भी विचार नहीं किया जावेगा ।

16.अन्यत्र स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक/त्यागपत्र अथवा अन्य किसी भी प्रकार से सेवा में नहीं रहने पर यह आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं आवंटिती को तत्काल आवास रिक्त करना होगा ।

17.आवंटित शासकीय आवास का आधिक्य 15 दिवस में आवश्यक रूप प्राप्त कर निवास करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाएगा।

(अमनि महोदय द्वारा अनुमोदित)

(मो.यूसुफ कुरैशी)
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर
हेतु- अति.पुलिस महानिदेशक,
इन्दौर जोन इन्दौर

दिनांक 19.02.2017

कमांक/अमनि/इं/स्थापना/एफ-33-ए/ 149-41(A) /2017

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर रेन्ज शहर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर(मुख्यालय), इन्दौर(पश्चिम) एवं इन्दौर(पूर्व)।
- 3- रक्षित निरीक्षक जिला इन्दौर।
- 4- थाना प्रभारी जिला इन्दौर।
- 5- संबंधित की ओर सूचनार्थ-द्वारा थाना प्रभारी।

(मो.यूसुफ कुरैशी)
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर
हेतु- अति.पुलिस महानिदेशक,
इन्दौर जोन इन्दौर